

निस्तारणआ
(समी कौलम)

31)

IGRS/सी0एम0 हेल्पलाईनसन्दर्भ संख्या:-दिनांक:-	60000250208987
शिकायत से सम्बन्धितविभाग:-	राजस्व विभाग
शिकायतकर्ताकानाम व पता:-	कविता सिंह
निस्तारणकर्ताअधिकारी/कार्मिककानाम:-	छोगुर प्रसाद
निस्तारणकादिनांक:-	27-09-2025
शिकायतनिम्नविवरण के अनुसार शासनादेश संख्या-1/2 दिनांक 17-02-2020 के प्रस्तर-10 (ग) से आच्छादितहैअथ	नीस-लो0शि0-05 / 2020-05लो0शि0 / 2019 पोषितहै। (यदि आच्छादित नहीं हैतोइरोकाट दें)
विवरण-यदिशिकायतइनमें से किसी श्रेणी काहेतोटिककरें (जो लागू न होउसेकाट दें)-	1- सम्बन्धित- (✓) 2- से आच्छादित- (x) 3- x) 4- x) 5- य मेंवादलवितहैतोविवरण- x 6- न्यायालय कानाम- ज.त. केठर वाराणसी
संक्षिप्तनिस्तारणआख्या- (यदिआवश्यक होवेस्तुतआख्या अलग से संलग्नकरदे पर-	आख्या नहीअवश्य उल्लिखित करें)

महोदय,

संलग्न शिकायत सं. 60000250208987 शिकायत कर्ता कविता सिंह पुत्री विजय बहादुर सिंह निवासी-गोसईपुर मोठांव परगना-केठर तहसील-सदर जिला-वाराणसी द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में दिया गया है? जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत करना है कि मौजा-गोसईपुर मोठांव परगना-केठर तहसील-सदर जिला-वाराणसी में स्थित आ.न. 148 रकवा 0.705 हे. व आ.न. 304 रकवा 0.418 व आ.न. 157 रकवा 0.522 व 338 रकवा 0.040 हे. व 337 रकवा 0.182 हे. व 336 रकवा 0.198 हे. के वाकू न्यायालय नायब तहसीलदार केठर वाराणसी कम्प्युटरिकृत वाद सं. 12023।4700।18799 खुशी सिंह बनाम गांव-सभा का वाद अन्तर्गत धारा 34/35 अधिनियम 3 प्र. राजस्व संकलन 2006 में प्रचलित था जिसमें सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर दिनांक 17-12-24 ई. को फावली आदेश हेतु सुरक्षित कर ली गई जिसमें गुण दोष के आधार पर दिनांक 01-01-2025 ई. को आदेश पारित कर दिया गया। यदि आवेदन पारित आदेश से असहमत है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायित्व कर अनुतोष प्राप्त कर सकती हैं।

आख्या सादर प्रेषित

अग्रसारित

27-09-2025

तहसीलदार (सिद्ध) वारा 0
दिनांक-..... 27/9/25

प्रसरण 17/09/25
प्रतिभा कानो 09/09/25
मोटा 11/09/25
03/09/25
जुहाल 15/09/25

न्यायालय का प्रकरण
 हेम से GPS फोटो
 संकलन नहीं है।
 धन

GPS युक्त फोटो (अनिवार्य है।)

मौके पर शिकायतकर्ता उपस्थित रहा अथवा नहीं। (हाँ / नहीं)
 यदि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण

गवाहान

समीक्षक / अग्रसारित करने वाले अधिकारी की
 सन्तुष्टि / अभिशुक्ता
 (स्पष्ट चर्चित कर कि निस्तारण की गुणवत्ता से
 संतुष्ट है / निस्तारण सम्पूर्ण समाधान दिवस सन्दर्भ संभव नहीं
 है।)

मो० नं०	हस्ताक्षर

सुलेखा अप्पारयादुव (फीडबैक लेने वाले अधिकारी का
 29/09/25 को समय 6:09 PM
 प्राप्त विज्ञानिया मेरु द्वारा दूरभाष नं० 829959578 पर
 शिकायतकर्ता / असंतुष्ट / अग्र (जो लागू होए से काट
 आवेदिका का मो० नं० स्वीच ऑफ़ 20।)

मेरे द्वारा निस्तारण कर्ता अधिकारी से सलाह कर यह
 जानू से लोकसेवा से।
 गुणवत्ता में सुधार संभव है अतः
 निस्तारण स्वीकार कर पुनः
 निर्देशन किया गया।
 अथवा
 की जानई अपेक्षा विधि सम्मत पूर्ण हानि योग्य
 रण की गुणवत्ता के
 मोलदाय्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
 अधिकारी के हस्ताक्षर



न्यायालय :- मायब तहसीलदार, कटेहर
 मण्डल : वाराणसी, जनपद : वाराणसी, तहसील : सदर
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202314700118799
 वाद संख्या :- 18799/2023
 खुशी सिंह बनाम गाँव सभा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34/35
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि :- 01/01/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामांतरण वाद बरासत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मौजा गोसाईपुर मोहॉव परगना कटेहर तहसील व जिला वाराणसी के खतौनी वर्ष 1425-1430 के खाता संख्या 00840 आराजी नं० 148 रकबा 0.7050 हे० व आराजी नं० 304 रकबा 0.4180 हे० व खाता संख्या 01029 आराजी नं० 157 रकबा 0.5220 हे० व खाता संख्या 00736 आराजी नं० 338 रकबा 0.0400 हे० व खाता संख्या 01028 आराजी नं० 337 रकबा 0.1820 हे० व आराजी नं० 336 रकबा 0.1980 हे० के खातेदार मृतक विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र सिंह के स्थान पर बरासतन खुशी सिंह पुत्री स्व० सत्यप्रकाश सिंह का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद दर्ज कर इशतहार जारी किया गया व वाद अंतर्गत आपत्ति के अभाव में निर्विवाद है।

वादिनी द्वारा साक्ष्य में परिवार रजिस्टर की नकल व आधार कार्ड की छाया प्रति व मूल्य प्रमाण पत्र व निकटतम स्वयं प्रमाण पत्र व ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र दाखिल किया गया। साक्ष्यों के जवाब में वाद में कि खातेदार मृतक रामचन्द्र पुत्र भवनीदीन के वारिस विजयबहादुर सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह की वारिस प्रतीति देती है मृतक है, जिसके दो पुत्र गोपाल उर्फ सत्यप्रकाश मृतक की एक मात्र पुत्री खुशी सिंह है व दूसरे पुत्र रविप्रकाश है जो तीन पुत्रीयों विवाहित है। जिसकी पुष्टि निकटतम प्रमाण पत्र व कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति से होती है। ऐसी स्थिति में वाद के वारिसानों का नाम मृतक के स्थान पर भौमिक अधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी दर्ज अभिलेख किया गया है। वादोचित प्रतीत होता है। अतः आदेश हुआ कि-

आदेश

मौजा गोसाईपुर मोहॉव परगना कटेहर तहसील व जिला वाराणसी के खतौनी वर्ष 1425-1430 के खाता संख्या 00840 आराजी नं० 148 रकबा 0.7050 हे० व आराजी नं० 304 रकबा 0.4180 हे० व खाता संख्या 01029 आराजी नं० 157 रकबा 0.5220 हे० व खाता संख्या 00736 आराजी नं० 338 रकबा 0.0400 हे० व खाता संख्या 01028 आराजी नं० 337 रकबा 0.1820 हे० व आराजी नं० 336 रकबा 0.1980 हे० के खातेदार मृतक विजयबहादुर सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र सिंह के स्थान पर खुशी सिंह पुत्री स्व० सत्यप्रकाश सिंह उर्फ गोपाल सिंह व रविप्रकाश सिंह पुत्र स्व० विजयबहादुर सिंह के नाम गोसाईपुर मोहॉव परगना कटेहर तहसील व जिला वाराणसी का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। वाद अंतर्गत प्रमाण पत्र दाखिल दफ्तर हो।

(कुलवन्त सिंह)

नायब तहसीलदार कटेहर

वाराणसी।

(S) Jaimar

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रवन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"